

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/8818-8830

दिनांक : 26 जुलाई 2012

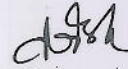
आदेश संख्या 142/2012-13

निम्नांकित लेखाकारों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

| क्र. स. | नाम लेखाकर्मी          | वर्तमान विभाग/ कार्यालय का नाम                    | नवीन पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम        | विशेष विवरण              |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 2                      | 3                                                 | 4                                           | 5                        |
| 1.      | विनोद कुमार नाई 890/86 | राजकीय, यू.जी. महाविद्यालय (छात्रा) रतनगढ़ (चूरु) | बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरदारशहर (चूरु) | श्री लाखालान के स्थान पर |
| 2.      | रूपाराम चौधरी 776      | पंचायत समिति, ओसियाँ (जोधपुर)                     | खनि अभियन्ता, जोधपुर                        | रिक्त पद पर              |

श्री रामकुमार लाखालान, लेखाकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरदारशहर (चूरु) को आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर उनका आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायत समिति, सरदारशहर (चूरु) में किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 2 (1) वित्त/ राजस्व/ 2012 दिनांक 16.07.2012 के क्रम में लोक हित में जारी किये जाते हैं।

  
निदेशक

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/8818-8830

दिनांक :- 26 जुलाई 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2 (1) वित्त/ राजस्व/ 2012 दिनांक 16.07.2012 के संदर्भ में प्रेषित है
- प्राचार्य, राजकीय, यू.जी. महाविद्यालय, (छात्रा) रतनगढ़ (चूरु)/बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरदारशहर (चूरु)/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, ओसियाँ (जोधपुर)/खनि अभियन्ता, जोधपुर/ विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर (चूरु) को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित लेखाकार को उक्त आदेश की अनुपालना में अविलम्ब कार्यमुक्त कर/कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावे।
- विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- श्री ..... लेखाकार विभाग/ कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर सूचित करें। 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण सूचना प्राप्त नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
- निजी सहायक निदेशक
- निजी पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)